विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची–2013

मार्च–2013

शिक्षा विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(षिक्षा)02/09	श्री विजय राम प्रखण्ड षिक्षा प्रसार पदाधिकारी पदमा(बरही) जिला हजारीबाग द्वारा श्री लोकनाथ महतो पारा षिक्षक से नजायज राषि लेकर गलत कार्य के लिए उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप को दबा दिये जाने के संबंध में श्री हरि प्रसाद मेहता बरही का परिवाद।	04.03.2013	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री लोकनाथ महतो पारा षिक्षक के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(षिक्षा) 04/12	मो0 इस्लाम षिक्षक , धनबाद को ACP का लाभ नहीं मिलने की षिकायत ।	06.03.2013	जिला षिक्षा अधीक्षक धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207 दिनांक 14.08.2002 के आलोक में ACP का लाभ देय नहीं है। अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(षिक्षा)04/11	श्री सचिदानंद द्विवेंदू तिग्गा जिला षिक्षा अधीक्षक हजारीबाग के विरूद्ध आरोप के संबंध में ।	04.03.2013	निदेषक, प्राथमिक षिक्षा झारखण्ड राँची से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनूसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	01/लोक(षिक्षा)05/11	श्री प्रदीप रमानी, लिपिक, जिला षिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय गोड्डा के विरूद्ध आरोप के संबंध में जहरूद्दिन रहमान का परिवाद ।	04.03.2013	क्षेत्रीय उप षिक्षा निदेषक, संथाल परगना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री प्रदीप रमानी, लिपिक, जिला षिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय गोड्डा के विरूद्ध आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(षिक्षा)21/11	श्रीमती झुनकी देवी एवं शकली देवी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरियाँ प्रखण्ड करौं जिला देवघर में रसोइया के पद से हटाने एवं मानदेय का भुगतान नहीं करने के संबंध में परिवाद ।	04.03.2013	जिला षिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के बकाया मानदेय का भुगतान करने का आदेष सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
6.	02/लोक(षिक्षा)48/11	जिला षिक्षा कार्यालय लातेहार में नियुक्ति एवं पद स्थापन नहीं होने कि श्री सुरेन्द्र उराँव एवं अन्य की षिकायत ।	06.03.2013	निदेषक, माध्यमिक षिक्षा, झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादीयों की नियुक्ति कर विभिन्न विद्यालयों में उनकी पदस्थापन कर दिया गया है। इस प्रकार परिवाद के निराकरण के पष्चात परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा

				अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	02 / लोक(षिक्षा)12 / 11	श्री बिरेन्द्र कुमार वर्णवाल, ग्राम+पो0 – नवाडीह जिला–बोकारो को षिक्षा विभाग द्वारा मकान भाड़ा नहीं दिये जाने के संबंध में ।	07.03.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी को उनके बकाया मकान भाड़ा का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद के निराकरण के पष्चात माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
8.	01 / लोक(षिक्षा)05 / 2009	श्री पूर्णानंद सिंह जिला षिक्षा अधीक्षक जमषेदपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये गलत सूचना एवं श्रीमती रविन्द्र कौर निलम्बित षिक्षिका टिनप्लेट खालसा मध्य विद्यालय गोलमूरी के पूर्ण वेतन भुगतान के संबंध में श्री बन्ना गुप्ता का षिकायत ।	05.03.2013	संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपि पदाधिकारी के विरूद्ध पेंषन अधिनियम के तहत कार्रवाई आरंभ किया जा चूका है। इस आष्य के साथ संचिका को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया कि कृत कार्रवाई से यथाषीघ्र अवगत कराया जाय ।

राजस्व विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(राजस्व)10 / 2012	पाकुड़ निवासी श्री अषोक कुमार यादव द्वारा सरकारी भूमि के अतिक्रमण का आरोप तथा संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने के आरोप से संबंधित श्री लक्ष्मण शर्मा बलिहारपुर पाकुड़ का परिवाद ।	30.03.2013	उपयुक्त पाकुड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद दो लोगों का आपसी भूमि विवाद है। इस प्रकार के परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद बंद कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(पुलिस)16 / 12	वर्तमान कार्यरत सारठ थाना प्रभारी उत्तम तिवारी द्वारा मनमाने ढंग से अवैद्य कार्य को कार्य रूप देने के संबंध में मो0 बसंती देव्या देवघर का परिवाद ।	11.03.2013	जे.ए.पी.–3 कमानडेन्ट श्री अषोक कुमार राय के द्वारा समर्पित रिपोर्ट, फोटोग्राफ एवं सी.डी. तथा परिवादीनी द्वारा लिखित रूप से माननीय लोकायुक्त को सूचित किया कि कृत कार्रवाई से वे संतुष्ट है के आलोक में परिवाद को बन्द कर दिया गया । इस प्रकार माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के पष्चात एक गरीब मोसमात महिला को न्याय मिल गया ।
2.	02 / लोक(गृह)01 / 2011	नक्सल एवं फौजदारी मुकदमा बढ़ने के संबंध में श्री रंजीत कुमार राय षुकला कॉलोनी, हिनु, राँची का परिवाद	04.03.2013	उप सचिव गृह विभाग से प्राप्त विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित मामले का अनुसंधान पुलिस महानिरीक्षक

		।		(मानवाधिकार) के द्वारा किया जा रहा है तथा खनन विभाग से संबंधित मामले में प्रतिवेदन की मांग विभाग से किया गया है। अतः परिवाद पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई आरंभ करने के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)17/11	श्री दिनेष कुमार नगर आरक्षी अधीक्षक राँची द्वारा परिवादी श्रीमती दिपाली मंडल रातु रोड पंडरा राँची के जमीन पर कब्जा करवाने पैसा ऐंठने एवं झूठे मुकदमें में फंसाये जाने कि धमकी दिये जाने के संबंध में ।	26.03.2013	पुलिस महानिरीक्षक, द0 छ0 राँची के जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.) 6/05	श्री भिखारी पंडित सेवानिवृत जनसेवक बगोदर प्रखण्ड जिला गिरीडीह को ए.सी.पी. का लाभ तथा बकाया वेतन भुगतान के संबंध में परिवाद ।	06.03.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी को उनके सभी वैद्य बकाया का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)19/12	चतरा जिला के ममुरहद प्रखण्ड में कदगांवा कला का पंचायत सचिवालय मुख्यालय से 5 कि.मी. दूर बनये जाने के संबंध में श्री सुनिल सिंह, नरचाही, चतरा का षिकायत ।	06.03.2013	उपायुक्त चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार पंचायत सचिवालय का निर्माण कार्य कदगांवा गांव के बचाये दुसरे गांव में आरंभ कर दिया गया था परन्तु निगरानी समिति के आपति के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया तथा विकास उपायुक्त के स्थल निरीक्षण के बाद कदगांवा गांव में नया स्थल का चयन कर लिया गया है तथा सचिवालय निर्माण की कार्रवाई की जा रही है । इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण के प्ष्चात अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

खाद्य आपूर्ति विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(खा.आ.) 01 / 2012	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी चौपारण द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेष कर प्रताड़ित करने के सबंध में विरेन्द्र रजक चौपारण हजारीबाग का परिवाद ।	06.03.2013	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बरही से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।

वन विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन)12/12	मो0 अंजलि मित्रा की प्लॉट नं0 705, रक्बा 119 एकड़ 27 डी0 ग्राम मरहन्द, थाना नं0-116 का वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी प्रमंडल द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने के संबंध में परिवाद ।	13.03. 2013	यह परिवाद भूमि के स्वामित्व से संबंधित जटिल केस है जो उचित फोरम पर ही निपटाया जा सकता है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

परिवहन विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(परिवहन)01/06	श्री राम दहिन सिंह, सेवानिवृत लिपिक जिला परिवहन कार्यालय धनबाद के सेवान्त लाभ एवं अवकाष अवधि के बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में ।	06.03.2013	परिवादी पूर्व में इस परिवाद के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

समाज कल्याण विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स. कल्याण)03/12	तत्कालिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गिरिडीह श्रीमती स्नेह कष्यप द्वार किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राम किषुन महतो बरगण्डा मोड़ गिरिडीह का परिवाद ।	06.03.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त रिपोर्ट के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश

1.	02/लोक(स्वा0)08/2011	डॉ0 कृष्णनन्दन पाठक, प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी साहेबगंज के विरूद्ध षिकायतकर्ता डॉ0 ओम प्रकाष, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, भगैया, भंडरों साहेबगंज से प्राप्त षिकायत ।	06.03.2013	उपसचिव ,स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किया जा चूका है। अतः उक्त रिपोर्ट के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कृषि विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)16/2012	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवानिवृत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी अड़की खूँटी को देय पावना का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में षिकायत ।	26.03.2013	उपायुक्त खूँटी से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसार परिवादी को सेवा निवृति के बाद के उनके सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया । ग्रुप बीमा का भुगतान उनके द्वारा कटौती विवरणी के समर्पित करने के पष्चात किया जायेगा । उपरोक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

विविध

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)26/12	चारा घोटाला मामलें में सह अभियुक्त बनाये जाने के कारण वर्ष 2008 से पेंषन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री गोपाल राय सेवानिवृत लेखापाल हजारीबाग कोषागार से प्राप्त परिवाद ।	04.03.2013	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी चारा घोटाला केस सं. आर. सी. 25(ए)/96 में सजा प्राप्त आरोपी है तथा अवर सचिव वित्त विभाग द्वारा फुल पेंषन का आवेदन रद्द किया जा चूका है। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवष्यकता नहीं है।
2.	02/लोक(विविध)15/12	मेसर्स रानी सती फुड एण्ड ग्रेन्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा रूक्का, नेवरी राँची में गलत तरिके से राईस मिल चलाने के संबंध में श्री षिव षंकर शर्मा पिस्का नगड़ी का षिकायत ।	06.03.2013	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखण्ड से प्राप्त कार्रवाई प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार राईस मिल पुर्णतः बन्द कर दिया गया । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखण्ड के द्वारा मेसर्स रानी सती फुड एण्ड ग्रेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विरूद्ध समुचित कार्रवाई के फलस्वरूप माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(विविध)10/11	34वीं राष्ट्रीय खेल, 2011 के दौरान आइ.पी.आर.डी.	06.03.2013	निदेषक खेल, झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के

		(सूचना भवन) द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में मो0 ईकबाल अहमद मास कॉम्यूनिकेषन केन्द्रीय विष्व विद्यालय के विद्यार्थी का षिकायत पत्र ।		अनुसार परिवादी के देय मानदेय का भुगतान 34वीं राष्ट्रीय खेल ऑर्गेनाइजिंग समिति द्वारा रद्द कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01 / लोक(विद्युत)01 / 2012	गलत तरिके से बिजली का बिल बढ़ा कर कनेक्षन काटने के संबंध में श्री रमेष कुमार साहू कोकर राँची का परिवाद ।	06.03.2013	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालक अभियंता के निरीक्षण के क्रम परिवादी का बिजली का लोड 46 H.P पाया गया तदनुसार बिजली का बिल निर्गत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

शिकायत /परिवाद
मार्च–2013

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	षिकायत सं. 781/12	चतुर्थ संयुक्त असैनिक परीक्षा (4th JPSC) में घोटाला एवं धांधली के संबंध में श्री रविकान्त भूषण राँची का षिकायत।	02.03.2013	यह परिवाद रविभूषण के नाम से किसी छदम व्यक्ति द्वारा उनका हस्ताक्षर तथा मोबाईल नं0 का प्रयोग कर परिवाद दाखिल किया गया है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	षिकायत सं. 01/13	झुमरी तिलैया नगर परिषद निर्वाचन 2010 में वार्ड सं. 14 के निर्वाचित सदस्य श्री राकेष कुमार शर्मा द्वारा नाम निर्देषन पत्र में तथ्यों को छुपाने के संबंध में श्री मुन्ना प्रसाद धुर्वा राँची का षिकायत ।	06.03.2013	षिकायत नगरपालिका अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है तथा षिकायत कर्त्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 की धारा 10(4)(ग) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है । इस प्रकार परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बनद कर दिया गया ।
3.	षिकायत सं. 484/12	नव प्राथमिक विद्यालय जामाडोबा धनबाद में अनियमितता के संबंध में श्री प्रमोद कुमार यादव धनबाद का षिकायत ।	06.03.2013	परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
4.	षिकायत सं.437/12	Private Party को गलत तरिके से माइनिंग लीज आवंटित करने के संबंध में प्रभाकर कुमार पाण्डेय राँची का षिकायत ।	06.03.2013	परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
5.	षिकायत सं. 43/2013	बगैर बिजली कनेक्षन के बिजली बिल भेजने के संबंध में नौसाद शेख मधुपुर का षिकायत ।	06.03.2013	षिकायतकर्त्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः परिवाद सुनवाई के लिए उचित नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त के द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	षिकायत सं.71/2013	पुंष्तैनी जमीन को गिरिडीह के अंचल कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भुमाफिया को बेच दिये जाने के संबंध में श्री हिरदेव सिंह, गांवा गिरिडीह का षिकायत ।	09.03.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	षिकायत सं. 124/2013	श्री कन्हैया ठाकुर को श्रम न्यायालय धनबाद द्वारा दिये गये अवार्ड के बावजूद भी कृषि उत्पादन बाजार समिति धनबाद के पणन सचिव द्वारा उन्हे सेवा मे पुनः नहीं रखने एवं बकाया राषि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	9.03.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

8.	षिकायत सं. 12/2013	खतियानी रैयति जमीन कजरीबागान में कृषि योग्य भूमि को बी.सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा बर्बाद किये जाने के संबंध में श्री मनोज महतो धनबाद का षिकायत ।	06.03.2013	बी.सी.सी.एल. भारत सरकार का लोक उपक्रम है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।
9.	षिकायत सं. 36/13	ठत्ळथ योजना के षिलापट्ट में सांसद का नाम नहीं लिखे जाने के संबंध में डॉ0 अजय कुमार सांसद लोकसभा, जमषेदपुर का षिकायत ।	09.03.2013	संबंधित षिकायत झारखण्ड सरकार के दिषा निर्देष के उलंघन से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा षिकायत मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार को प्रेषित करते हुए बंद कर दिया गया ।
10.	षिकायत सं. 06/2013	आई0 डब्लू0 इस्टर्न रेलवे जसीडीह में पद स्थापित कर्मचारी श्री मंगर गोप को धमकी दिये जाने के संबंध में।	06.03.2013	शिकायत किसी लोक सेवक के विरूद्ध न होकर दो लोगों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः षिकायत पत्र को पुलिस अधीक्षक देवघर को भेजते हुए परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
11.	षिकायत सं.55/13	वाणिजय कर विभाग हजारीबाग, रामगढ़ एवं साहेबगंज के द्वारा उत्पाद बनदोवस्त वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में बिक्री की गई खुदरा विदेषी शराब के कर निर्धारण आदेष में विभाग की मिली भगत से करोड़ों रूप्ये सरकारी राजस्व के गबन करने के संबंध में श्री रघु जायसवाल हजारीबाग का षिकायत ।	06.03.2013	यह परिवाद प्राईवेट संस्था के विरूद्ध तथा कर निर्धारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेष के विरूद्ध है जो दोनों ही स्थिति में झारखण्ड लोकायुक्त अधिानियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
12.	षिकायत सं. 65/13	श्री हिरा प्रसाद रजक, जिला अभियंता, जिला परिषद साहेबगंज द्वारा अमंत्रण निविदा में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में श्री कैलाष प्रसाद बोरिये साहेबगंज का षिकायत ।	06.03.2013	षिकायतकर्त्ता पूर्व में ही इसी मामले के निष्पादन के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं है ।
13.	षिकायत सं. 482/2012	पुलिस थाना गोबिन्दपुर के विरूद्ध प्राप्त श्री प्रसून कुमार मिश्र दिल्ली का षिकायत ।	06.03.2012	परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
14.	षिकायत सं. 860/2012	निगरानी ब्यूरो झारखण्ड राँची के द्वारा विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध छदमनामी आवेदन दिलवा कर भायादोहन कर पैसा वसूलने के संबंध में श्री मलय निरज राँची का षिकायत ।	06.03.2013	चूंकि परिवादी इस परिवाद को कई प्राधिकारों में एक साथ दाखिल किया है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
15.	षिकायत सं. 861/2012	झारखण्ड दारोगगा बहााली परीक्षा में अहर्त्ता अंक लाने के बाद भी अंतिम रूप से चयन नहीं होने के संबंध में रंजीत कुमार राँची का षिकायत ।	06.03.2013	यह षिकायत नियुक्ति/ चयन से संबंधित है । इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
16.	षिकायत सं. 478/2012	भू–अर्जन विभाग पलामू द्वारा वर्ष 1990–91 में अधिगृहित की गई भूमि व मकान का मुआवजा दिलाने	06.03.2013	परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण परिवाद पर

		के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रसाद लातेहार का षिकायत ।		अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
17.	षिकायत सं. 530/2012	आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के चार अभियंताओं उमेष गुपता, शषिभूषण पूरन , ब्रहम्देव प्रसाद एवं संजय कुमार झा के विरूद्ध मृत्युंजय कुमार सिंह रातु रोड राँची का परिवाद ।	06.03.2013	परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
18.	षिकायत सं. 25/13	वाणिज्यकर सहायक आयुक्त राँची श्री जगदीष साहु, वाणिजयकर सहायक आयुक्त विषेष अंचल राँची श्री पारिजात मंजुल, वाणिज्यकर सहायक आयुक्त पूर्वी अंचल राँची श्री इ. तिग्गा एवं वाणिज्यकर सहायक आयुक्त सेन्ट्रल आई. वी. राँची श्री राणा प्रताप ऊराँव की अथाह एवं अकूत संपति के जांच के संबंध में श्री कमल सिंघानिया ट्रेड फ्रेन्डस, अपर बाजार राँची का षिकायत ।	13.03.2013	षिकायतकर्त्ता से परिवाद के त्रुटियों के निराकरण के लिए पत्राचार किया गया जिसके उत्तर में परिवादी द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया कि उनके नाम से किसी छदम व्यक्ति द्वारा षिकायत किया गया तथा उन्होने किसी के विरूद्ध कार्यालय में कोई षिकायत दर्ज नहीं कराया है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खरिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
19.	ष्किायत सं. 828/2012	परिवादी श्री कैलाष प्रसाद प्रखण्ड बोरियो, सहेबगंज के नाम हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में प्राप्त ष्किायत ।	06.03.2013	भविष्य में किसी घटना के घटित होने के अषंका के आधार पर दाखिल परिवाद पोषणीय नहीं है अतः उक्त के आलोक में षिकायत को खारिज करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
20.	षिकायत सं. 58/2013	श्री रासबिहारी सिंह, गोपाल पाण्डेय, नन्दलाल पाण्डेय, एवं दिगम्बर राउत की आकूत सम्पति की जांच के संबंध में श्री जगदीष, जगदीष इंजीनियरिंग वर्क्स रातु रोउ राँची का षिकायत ।	06.03.2013	चूंकि परिवादी इस परिवाद को कई प्राधिकारों में एक साथ दाखिल किया है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
21.	षिकायत सं0 03/2013	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्तमान सिविल सर्जन गोड्डा द्वारा आरोपी गोपाल चन्द्र मंडल एवं कृष्ण गोपाल दत्त लिपिक को बिना जांच के भुगतान एवं पूर्व परिवार सदस्यों का फर्जी नियुक्ति के संबंध में परिवादी तरूणा कुमारी गोड्डा का षिकायत ।	26.03.2013	परिवादीनी द्वारा लगाये आरोप तथ्यहीन है आरोपी को भुगतान विभागीय समिति के माध्यम से निदेषक प्रमुख के संपुष्टि के द्वारा किया गया है। उनके परिवार के सदस्यों की नियुक्ति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेष के आलोक में की गई है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा षिकायत पत्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवष्यकता नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया ।